संख्या-37/2022/1634/001-2161424-2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई, 2022**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में गत वर्ष प्राप्त् केन्द्राश के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-45/बजट/2022-23, दिनांक 08.07.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रोइरीगेशन (के.60/रा.40 - के. + रा.) की योजना में गत वर्ष प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश रू0-7818.33 लाख को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अनुदान सं0-10 अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रोइरीगेशन(के.60/रा.40 - के. + रा.) तथा लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-''पर ड्राप मोर क्राप'' माइक्रोइरीगेशन
योजना

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. निदेशक उद्यान एवं वित्त। नियंत्रक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।
2. वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा कोषागार से धनराशि का अंतरण पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जायेगा।
3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व निदेशक उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित केन्द्रांश राज्य की समेकित निधि में जमा है।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
5. कोषागार से धनराशि का आहरण/व्यय तभी किया जायेगा जब पात्र लाभार्थियों का चयन कर निदेशक उद्यान द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
6. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्तत नियंत्रक, उद्यान का होगा।

7. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्ता नियंत्रक, का उत्तरदायित्व रहेगा।
8. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
10. निदेशक उद्यान सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
11. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
12. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
13. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022- 231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
15. योजनान्तरर्गत अन्यं व्य य एवं प्रशिक्षण मद में भारत सरकार एवं राज्यि सरकार का अंश 60:40 निहित होगा। सब्सिडी मद में केन्दां श, राज्यांनश एवं अतिरिक्ति राज्यांरश का अनुपात शासनादेश सं0-32/2022-1240/58-2022-429/2015, दिनांक 30.06.2022 के अनुसार निहित होगा।
16. ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के अन्तएर्गत लाभार्थियों को भुगतान करने के सम्बान्धस में डी0बी0टी0 की प्रक्रिया निम्नेवत अपनायी जायेगी :-
I. विभागीय वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम-आवक प्रथम-पावक के सिद्धांत पर चयनित कर लाभान्वित किया जायेगा।
I I. योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और प्रमुखता से कार्य करने वाले 10 निर्माता फर्मों के औसत मूल्य के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म से आपूर्ति/स्थापना का कार्य लाभार्थी कृषक द्वारा स्वयं व्यय करने पर शासकीय अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में अनुदान की राशि आधार सीडेड ऋण खाते में अन्तरित की जायेगी। अनुमन्य कृषक अंश की धनराशि लाभार्थी द्वारा नकद अथवा ड्राफ्ट के रूप में संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/ डिस्ट्रीब्यूटर को किया जायेगा।
लाभार्थी कृषक द्वारा, ड्रिप/ स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना हेतु अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि अग्रिम रूप में निर्माता फर्म को निजी स्रोत से नहीं दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी0डी0सी0), संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/ डिस्ट्रब्यूटर को हस्तगत किया जायेगा।

I I I. लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति, जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, की संतोषजनक रिपोर्ट, जियो टैगिंग एवं निर्माता फर्म को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन पी.एफ.एम.एस/ एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से डी.बी.टी. प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के आधार सीडेड ऋण खाते में किया जायेगा।

Iv. योजना में ऋण के संबंध में लाभार्थी कृषक तथा संबंधित द्वारा बैंक ऋण की औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी।

17. लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार/राज्या सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

18. लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्ब/न्धित जनपदीय अधिकारी उत्तीरदायी होंगे।

19. योजना पर किये गये व्यनय के संबंध में मासिक विवरण प्रत्येबक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्धग कराये जाय।

20. इस संबंध में होने वाला व्य य अनुदान सं0-10 के अन्तजर्गत वित्तीखय वर्ष 2022-23 के आय-व्यगयक में लेखाशीर्षक 2401-119-01-0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन तथा माइक्रोइरीगेशन योजना के अन्तगर्गत उपर्युक्ते तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190102 (पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190102 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.)	27 सब्सिडी	75,59,10,000 (रुपये पचहत्तर करोड़ उनसठ लाख दस हजार मात्र)
2	010	2401001190102 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	2,27,73,000 (रुपये दो करोड़ सत्ताईस लाख तिहत्तर हजार मात्र)
3	010	2401001190102 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	31,50,000 (रुपये इकतीस लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**78,18,33,000** **(रुपये अठहत्तर करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार मात्र)**
महायोग				78,18,33,000 (रुपये अठहत्तर करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-64-X-2022-23-दिनांक:16-7-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-37/2022/1634/001-2161424-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्लीर को भारत सरकार के पत्र
सं0-19-7/2017-आर0एफ0एस0-III(एफ.टी.एस37951), दिनांक 20.06.2022 के संदर्भ में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्त0र प्रदेश प्रयागराज ।
(3) महालेखाकार, (लेखा परीक्षक)/प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(4) वित्तख नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कफरण, निदेशालय उद्यान, लखनऊ।
(5) निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।
(6) समस्तक जिलाधिकारी, उत्त र प्रदेश।
(7) समस्तक मण्डधलीय उप निदेशक उद्यान, उत्त र प्रदेश।
(8) समस्तक कोषाधिकारी, उत्तदर प्रदेश।
(9) समस्तक जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तदर प्रदेश।
(10) वित्तर (व्ययय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्तर (आय-व्यकयक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(12) बजट प्रकोष्ठद, समाज कल्याजण विभाग, उ0प्र0शासन।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।